प्रेस विज्ञप्ति

18/09/2025

ईडी ने मेसर्स पीएसीएल मामले में 696.21 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड व अन्य के मामले में चल रही जांच के संबंध में हरियाणा के पंचकूला में स्थित 696.21 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

यह जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई), बीएसएफसी, नई दिल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 120-बी और 420 के अंतर्गत मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड, मेसर्स पीजीएफ लिमिटेड, दिवंगत श्री निर्मल सिंह भंगू व अन्य के विरुद्ध दर्ज की गई एफआईआर संख्या आरसी बीडी1/2014/ई/0004 दिनांक 19.02.2014 से शुरू हुई है। यह मामला पीएसीएल द्वारा शुरू की गई बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाली सामूहिक निवेश योजनाओं से संबंधित है, जिसके माध्यम से कंपनी और उसके सहयोगियों ने बेखबर निवेशकों से लगभग **48,000 करोड़ रुपये** धोखे से जुटाए और उनका दुरुपयोग किया, जो अपराध की आय (पीओसी) है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि लाखों निवेशकों से जुटाई गई धनराशि को कई लेन-देन के ज़रिए अलग-अलग स्तरों पर बाँटा गया ताकि उसकी अवैध उत्पत्ति को छुपाया जा सके। इस दागी धनराशि का एक हिस्सा 696.21 करोड़ रुपये मूल्य की 11 अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में इस्तेमाल किया गया, जो मेसर्स डीएसएस मेगासिटी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सरमाटी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सरमाटी टेक्नो बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स शिव मेगासिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स रोज़को बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाओं के नाम पर थीं। संपत्तियों को वैध दिखाने के लिए जानबूझकर स्तरों को अलग-अलग किया गया था, जिससे पीओसी को छिपाने का प्रयास किया गया।

अब तक, इस मामले में ईडी ने लगभग **2165 करोड़ रुपये** की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं, जिनमें भारत भर में स्थित घरेलू और विदेशी संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा, अब तक इस मामले में एक अभियोजन शिकायत और 2 पूरक अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं।

आगे की जांच जारी है।